



**DELHI VIDHAN SABHA**  
***COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS***

(Fifth Report)

(Presented on \_\_\_\_\_)

**LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL  
TERRITORY OF DELHI**

लोक लेखा समिति  
पायवी प्रतिवेदन

1. समिति का गठन

भाग - I

2. प्रस्तावना

3. दिल्ली नगर निगम  
॥ संपत्ति कर विभाग ॥

भाग - II

4. सिफारिशें

5. निष्कर्ष

समिति का गठन

- |    |                       |        |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | श्री मुकेश शर्मा      | सभापति |
| 2. | श्री नसीब सिंह        | सदस्य  |
| 3. | श्री माला राम गंगवाल  | सदस्य  |
| 4. | श्री अमरेश सिंह गौतम  | सदस्य  |
| 5. | श्रीमती किरण वालिया   | सदस्य  |
| 6. | श्री साहब सिंह चौहान  | सदस्य  |
| 7. | श्री ब्रह्म सिंह तंवर | सदस्य  |

सचिवालय

- |    |                     |                          |
|----|---------------------|--------------------------|
| 1. | श्री एस. के. शर्मा  | सचिव                     |
| 2. | श्री पी. एन. सिन्हा | अवर सचिव {वित्तीय समिति} |

सम्बद्ध अधिकारी

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | श्री रमेश चन्द्रा       | प्रधान सचिव {वित्त}                    |
| 2. | श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा | महालेखाकार {लेखा परीक्षा},<br>दिल्ली । |

समिति का गठन

- |    |                       |        |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | श्री मुकेश शर्मा      | समापति |
| 2. | श्री नसीब सिंह        | सदस्य  |
| 3. | श्री माला राम गंगवाल  | सदस्य  |
| 4. | श्री अमरीश सिंह गौतम  | सदस्य  |
| 5. | श्रीमती किरण वालिया   | सदस्य  |
| 6. | श्री साहब सिंह चौहान  | सदस्य  |
| 7. | श्री ब्रह्म सिंह तंवर | सदस्य  |

सचिवालय

- |    |                     |                            |
|----|---------------------|----------------------------|
| 1. | श्री एस. के. शर्मा  | सचिव                       |
| 2. | श्री पी. एन. सिन्हा | अवर सचिव § वित्तीय समिति § |

सम्बद्ध अधिकारी


- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | श्री रमेश चन्द्रा       | प्रधान सचिव § वित्त §                    |
| 2. | श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा | महालेखाकार § लेखा परीक्षा §,<br>दिल्ली । |

प्रस्तावना

मैं, मुकेश शर्मा, दिल्ली विधान सभा की लोक लेखा समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा व प्रतिवेदन के पैरा 5.3 की जाँच से संबंधित यह पाखंडी प्रतिवेदन सतद्वारा प्रस्तुत करता हूँ।

समिति ने दिनांक 10.03.2000 को सम्पन्न अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे पारित किया।

समिति पैरों की जाँच के संदर्भ में विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा महालेखकार, दिल्ली द्वारा दी गई सहायता और विस्तृत मार्ग-दर्शन के लिए इनकी प्रशंसा करती है। सचिवालय ने इस प्रतिवेदन को समय पर तैयार करने में उत्कृष्ट कार्य किया है।



॥ मुकेश शर्मा ॥

सभापति

लोक लेखा समिति  
दिल्ली विधान सभा।

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 10 मार्च, 2000



## लोक लेखा समिति का पाखौं प्रतिवेदन

### समिति की रचना

1. लोक लेखा समिति की स्थापना दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 192 के अधीन गठित की गई है ।
2. दिल्ली विधान सभा, करदाताओं द्वारा दिये गये धन में से भारी धनराशि स्वीकृत करने के कारण करदाताओं के हित में एक निर्धारित समय में धनराशि किस तरह व्यय की गई उसके विस्तृत लेखा विवरण को जानने की अपेक्षा करती है । उसे इस बात से भी अपने को संतुष्ट करना होता है कि इस तरह स्वीकृत किया गया धन जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया था उसे विवेकपूर्ण ढंग से मितव्ययता पूर्वक खर्च किया गया है । नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी वार्षिक लेखों की जाँच करता है और जाँच करने के बाद जैसा वह आवश्यक समझे वैसी शर्तों के अधीन लेखों को प्रमाणित करता है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

लोक लेखा समिति सदन द्वारा सार्वजनिक व्यय हेतु स्वीकृत धनराशियों के विनियोजन को दशाति हुए लेखों की जाँच करती है । समिति को विनियोजन लेख और उस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जाँच करते समय स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि लेख में दर्शायी गई धनराशि का जिस तरह निपटान किया गया है वह

- ॥क॥ वैधानिक रूप से उपलब्ध था और जिस सेवा या उद्देश्य के लिये प्रभारित किया गया है उस पर लागू था ।
- ॥ख॥ प्रत्येक पुर्न विनियोजन इस संबंध में बनाये गये प्रावधानों के अनुसार विनियोजन लेख में या तक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत किया गया है ।
- ॥ग॥ व्यय विभाग को प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया है ।

3. विभिन्न विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के प्रतिवेदन में उनसे संबंधित पैरों पर की गई कार्यवाही की टिप्पणियाँ §र.टी.एन. § समिति के मुख्य औजार है । विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये र.टी.एन. के आधार पर महालेखाकार, §लेखा परीक्षा§, दिल्ली, समिति को निर्विघ्न और समान्य विचार-विमर्श करने हेतु ज्ञापन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं §एम.आई.पी. § को तैयार करने में समिति की सहायता करता है । समिति ने दिल्ली नगर निगम से संबंधित पैरों जैसे पैरा 5.1 §मध्याह्न भोजन§, पैरा 5.2 §आधारभूत ढाँचे में वृद्धि§ और पैरा 5.3 §संपत्ति कर विभाग§ को लेने का निर्णय लिया ।

दिल्ली नगर निगम §संपत्ति कर विभाग§

4. लोक लेखा समिति ने विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए र.टी.एन. के साथ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के ज्ञापन की जाँच की और विभागोप प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाया । समिति ने दिनांक 5.8.99 को सम्पन्न अपनी बैठक में एक कुछ जानकारीयों मांगी और विभाग को पिछले जाँच वर्षों की जानकारी सहित अपना जवाब भेजने का निदेश दिया । समिति ने 2.11.99 को सम्पन्न अपनी बैठक में इस बात से नाराजगी व्यक्त की कि विभाग ने अपेक्षित जानकारी नहीं भेजी थी और यह जानकारी तत्काल प्रस्तुत करने का निदेश दिया ।

5. विभाग ने समिति द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जवाब भेजे किन्तु 9.2.2000 को होने वाली निर्धारित बैठक स्थगित करनी पड़ी क्योंकि उन बिन्दुओं पर उसी दिन कुछ समय पहले ही जवाब प्राप्त हुये थे । समिति ने 23.2.2000 को दुबारा बैठक करने का निर्णय लिया ।

6. समिति ने विभाग द्वारा भेजे गये जवाबों को गहन जाँच की और पैरानुसार निम्नलिखित टिप्पणियाँ, सिफारिशें और सुझाव दिये :-

पैरा 5.3.2 यह पैरा उन संपत्ति स्वामियों पर 20 प्रतिशत अर्थ दण्ड लगाने से संबंधित है जो जान-बूझकर समय पाने के लिए चैक भेजते हैं जो कि बाद में रद्द हो जाते हैं ।



समिति को सूचित किया गया कि चैकों के रद्द होने की स्थिति में करदाता को करों के पुनर्भुगतान हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाता है जो नकद अथवा ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऐसा करने में असफल होने पर करदाता पर 20 प्रतिशत अर्थ दण्ड लगाया जाता है। एक पक्षीय मामलों में करदाताओं को डाक प्रमाण पत्र §यू. पी. सी. § के अन्तर्गत करों के भुगतान हेतु नोटिस भेजे जाते हैं। प्रारंभ से एक पक्षीय मामलों में अर्थ दण्ड नहीं लगाया जाता है किन्तु करदाता द्वारा लगातार दोषी पाये जाने पर 20 प्रतिशत अर्थ दण्ड लगाया जाता है।

समिति जवाब से सहमत थी और पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

पैरा 5.3.4 यह पैरा लेखांकन और कुछ कर्मचारियों के स्तर पर की गई गणना की त्रुटियों से संबंधित था विभाग ने सूचना दी की क्योंकि यह प्रकट हुआ है कि त्रुटियाँ गैर इरादतन हुई हैं, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। तथापि जाँच और दुबारा जाँच करने से त्रुटियाँ कम हो जाती हैं। यदि यह पाया जाये कि गलती गैर इरादतन नहीं है तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। एक कर्मचारी, जिस पर अपने स्तर पर गलती करने का आरोप लगाया गया है पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

संतुष्ट होते हुए समिति ने पैरा समाप्त करने का निर्णय लिया।

पैरा 5.3.5 यह पैरा नई सम्पत्तियों के सर्वेक्षण और कर-निर्धारण से संबंधित था। समिति को सूचित किया गया कि नई सम्पत्तियों को कर की परिधि में लाने हेतु पूरा तैयारी की जा रही है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

समिति इस जवाब से संतुष्ट हुई और पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

पैरा 5.3.8 यह पैरा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 115 §4§ के प्रावधानों के अधीन धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को कर में छूट की स्वीकृति देने से संबंधित था।

समिति को सूचित किया गया कि सामान्यतः कर से मुक्ति उन धर्मार्थ न्यासों/ संस्थाओं को दी जाती है जो स्वेच्छिक अनुदान या दान से चल रहे हैं और लाभ अर्जित नहीं करती हैं। तथापि कर में छूट को साल-दर-साल के आधार पर नवीकृत किया जाता है। बशर्ते स्वेच्छिक घटक कुल आय के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। जब बत्रा



अस्पताल को कर में छूट की स्वीकृत के आधार के बारे में पूछा गया तब समिति को सूचित किया गया कि इस अस्पताल को वर्ष 1994-95 तक कर में छूट प्रदान की गई थी क्योंकि यह लाभ अर्जित नहीं कर रहा था। तथापि वर्ष 1995 के दौरान यह उद्घाटित हुआ कि अस्पताल ने लाभ अर्जित करना आरंभ कर दिया था और इसलिए कर में छूट के निर्णय को वापस ले लिया गया था।

विद्यालयों को कर में छूट की स्वीकृति के संबंध में विद्यालयों को तीन मुख्य श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया है, अर्थात् §1§ सरकारी विद्यालय जो संपत्ति कर अदा नहीं करते हैं किन्तु लगाये गये संपत्ति कर के 75 प्रतिशत तक सेवा शुल्क अदा करते हैं। §2§ अनुदान प्राप्त विद्यालय जिन पर संपत्ति कर लगाया गया है किन्तु उन्हें कर में 80 प्रतिशत की छूट दी जाती है बशर्ते निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान कर देते हैं और §3§ गैर-अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर भी संपत्ति कर लगाया जाता है और समय पर कर के भुगतान करने की स्थिति में उन्हें 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। समिति को कर-प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

समिति जवाब से संतुष्ट हुई और पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

### सिफारिशें

7. समिति ने संबंधित पैरों की जाँच के बाद निम्नलिखित सिफारिशों की :-


- §क§ कर व्यवस्था को सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए और करों के आसान भुगतान हेतु एक नई नीति विकसित की जानी चाहिए।
- §ख§ दिल्ली नगर निगम द्वारा दोषी व्यक्तियों के भुगतान और उन पर अर्थ दण्ड के कारण प्राप्त होने वाले बकाया धनराशि को एकत्रित करने हेतु सभी प्रयास किये जाने चाहिए।
- §ग§ संपत्ति कर विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 115 §4§ के प्रावधानों का धर्मार्थ न्यायों को करों में छूट देने के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिल्ड्रन ब्रंक ट्रस्ट बनाम दिल्ली नगर निगम के विवाद में दिये गये निर्णय अनुसार न्याय सम्मत प्रयोग करना चाहिए।

॥घ॥ विभाग को अधिक से अधिक सम्पत्तियों की कर की परिधि के अंतर्गत आवश्यक रूप से वार्षिक सर्वेक्षण करना चाहिये ।

॥ङ॥ विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संपत्तियों पर वर्ष-प्रतिवर्ष आधार पर समान रूप से कर लगाया जाये ।

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 10 मार्च, 2000



॥ मुकेश शर्मा ॥

सभपति

लोक लेखा समिति  
दिल्ली विधान सभा ।

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

(Fifth Report)

1. Composition of the Committee

PART-I

2. Introduction
3. Municipal Corporation of Delhi  
(Property Tax Department)

PART-II

4. Recommendations
5. Conclusions



COMPOSITION OF THE COMMITTEE

- |    |                          |          |
|----|--------------------------|----------|
| 1. | Shri Mukesh Sharma       | Chairman |
| 2. | Shri Naseeb Singh        | Member   |
| 3. | Shri Malaram Gangwal     | Member   |
| 4. | Shri Amrish Singh Gautam | Member   |
| 5. | Smt. Kiran Walia         | Member   |
| 6. | Shri Sahab Singh Chauhan | Member   |
| 7. | Shri Brahm Singh Tanwar  | Member   |

SECRETARIAT

- |    |                  |                     |
|----|------------------|---------------------|
| 1. | Shri S.K. Sharma | Secretary           |
| 2. | Shri P.N. Sinha  | Under Secretary(FC) |

OFFICERS IN ASSOCIATION


- |    |                       |                    |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1. | Shri Ramesh Chandra   | Pr. Secy.(Finance) |
| 2. | Smt. Meenakshi Mishra | A.G.(Audit), Delhi |

## INTRODUCTION

I, Mukesh Sharma, Chairman of the Public Accounts Committee of the Delhi Vidhan Sabha, having been authorised by the Committee to present this report on their behalf, do hereby, present the Fifth Report of the Committee relating to examination of Para 5.3 of the Comptroller and Auditor General's Report for the year ending 31 March, 1998 relating to the Property Tax Department of the Municipal Corporation of Delhi.

The Committee considered and adopted this report in its meeting held on 10.3.2000.

The Committee wishes to place on record its appreciation of the help and guidance extended by the Officers and staff of the Assembly Secretariat and A.G. Delhi in examination of the Paras. The Secretariat has done excellent work in the timely preparation of this report.



(MUKESH SHARMA)  
Chairman  
Public Accounts Committee

Delhi,

Dated, the        March, 2000.

## FIFTH REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

### CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

1. The Committee on Public Accounts has been set up under Rule 192 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Delhi Legislative Assembly.

2. The Legislative Assembly having voted large sums of tax payer's money does, in the interest of tax payers, expect, in due course, a detailed account of how the moneys have been spent. It must satisfy itself that the moneys so voted were directed to the intended purpose and were spent prudently and economically. The C&AG examines the yearly accounts of the Government and after scrutiny, certifies the accounts, subject to such reservations as he chooses to make and submits its Report which is laid before the House.

The Public Accounts Committee examines the accounts showing appropriation of the sums granted by the House to meet public expenditure. In scrutinizing the appropriation accounts and the audit reports thereon, it must satisfy itself that moneys so shown in the accounts as having been disposed were :-

- a) Legally available for and applicable to the service or purpose for which they have been charged.
- b) Every re-appropriation has been made in accordance with the provisions made in this regard in the appropriation accounts or under rules made by the Competent Authority.
- c) The expenditure has been incurred under the powers delegated to the department.

3. The main instrument of the Committee is the Action Taken Notes (ATN) sent by various departments on their concerned paras contained in the Report of Comptroller and Auditor General of India. Based on the ATNs submitted by the departments, AG(Audit), Delhi assists the Committee by preparing Memorandum of Important Points(MIPs) for smooth and fruitful deliberations by the Committee. The Committee decided to take up the paras relating to the Municipal Corporation of Delhi i.e. Para 5.1 (Mid Day Meal), 5.2(Augmentation of Infrastructure) and Para 5.3 (Property Tax Department).



MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI (PROPERTY TAX DEPARTMENT)

4. The Public Accounts Committee scrutinised the Action Taken Notes submitted by the department alongwith the Memorandum of Important Points and invited the departmental representatives to depose before it. The Committee in its meeting held on 05.8.99 raised certain queries and directed the Department to furnish their replies, containing information for the past five years. The Committee, in its meeting held on 02.11.99, expressed displeasure that the Department had not submitted the required information and directed submission of the same immediately.

5. The Department submitted a detailed reply on all the points raised by the Committee, but the meeting scheduled to be held on 09.2.2000 had to be adjourned as the reply on the points was received earlier on the same day itself. The Committee decided to meet again on 23.2.2000.

6. The Committee examined at length the replies furnished by the Department and made the following observations, recommendations and suggestions parawise :-

5.3.2: This Para pertained to levy of penalty of 20% on those property owners who deliberately and in order to gain time send cheques which are subsequently dishonoured.

The Committee was informed that in case of dishonoured cheques, the tax-payer is given a week's time for re-payment of taxes which is taken either in cash or by Draft/Pay Order. In case of failure to do so, the assessee is levied penalty of 20%. In case of ex-parte cases, tax payer is sent a notice under UPC for payment of taxes. Penalty is not levied on ex-parte cases ab-initio, but in case the assessee continues to default, then a penalty of 20% is levied.

The Committee was satisfied with the reply and decided to drop the para.

Para 5.3.4: The Para related to accounting and calculation mistakes on the part of some employees. The department informed that if it is revealed that the mistake is unintentional, then no action is taken. However, checks and counter checks minimise errors. In case, it is found that the mistake is not unintentional, action is taken against the guilty. One employee is being departmentally proceeded against for alleged lapse on his part.

Being satisfied, the Committee decided to drop the Para.

Para 5.3.5: The Para pertained to survey and assessment of new properties. The Committee was apprised that a full-fledged exercise is being undertaken to bring new properties under the ambit of tax and that it is a continuing process.

The Committee was satisfied with the reply and dropped the para.

Para 5.3.8: The Para related to grant of exemption to Charitable Trusts/Institutions under the provisions of Section 115(4) of the MCD Act.

The Committee was informed that tax exemption is normally given to Charitable Trusts/Institutions which are run on voluntary donation and do not earn profits. However, exemptions are renewed on a year-to-year basis provided the voluntary factor does not exceed more than 25% of the total income. When asked as to the basis for grant of tax exemption to Batra Hospital, the Committee was informed that this Hospital was given exemption in tax upto 1994-95 as it was not earning profits. However, during the year 1995, it revealed



that the Hospital had started earning profits and hence, the decision to grant exemption was withdrawn.

As regards the grant of exemption to schools, the Committee was apprised that the schools have been categorised in three major categories viz.(i) the Govt. Schools which do not pay Property Tax but pay Service Tax to the tune of 75% of the assessed Property Tax. (ii) the aided schools which are assessed for Property Tax but given a rebate of 80% of the tax provided it is paid by the due date and (iii) the unaided schools which are also assessed to Property Tax and given 50% rebate subject to the condition that the tax is paid in-time. The Committee was also apprised of the procedure for taxation.

The Committee was satisfied with the replies and decided to drop the Para.

#### RECOMMENDATIONS


7. After examining the related paras, the Committee makes the following recommendations :-

- a) Tax system should be streamlined and a new policy be evolved for easy payment of taxes.
- b) All efforts should be made by the MCD to recover default payment and arrears accruing thereon, on account of penalty.
- c) The Property Tax Deptt. should make judicious use of the provisions of Section 115(4) of the MCD Act while granting exemptions to Charitable Institutions and in accordance with the judgement pronounced by the Hon'ble Supreme Court in the case of Children Book Trust Vs MCD.

Contd.....5/-



- d) The Department should make annual surveys mandatory in order to bring more properties under the ambit of tax.
- e) The department should ensure that all properties are evenly assessed on a year-to-year basis.



(MUKESH SHARMA)  
Chairman  
Public Accounts Committee

Delhi,

Dated: 10.03.2000